



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30122022-241527  
CG-DL-E-30122022-241527

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5932]  
No. 5932]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6175(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियां जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक जेड-33014/45/2020-आरसीएच/भाग.फाइल-3 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की कीमतें का. आ 3322 (अ) दिनांक 25.09.2020, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी जो कि दिनांक 31.03.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो” लागू था और का. आ 1335 (अ) दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से दिनांक 30.09.2021 तक, फिर का. आ 3936 (अ) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 तक, फिर का. आ 5424 (अ) दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 तक, फिर का. आ 1508 (अ) दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से दिनांक 30.06.2022 तक फिर का. आ 2982 (अ) दिनांक 30.06.2022 के माध्यम से दिनांक 30.09.2022 तक और का. आ 4590(अ) दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से दिनांक 31.12.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू है उसे दिनांक 31.03.2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

2. दिनांक 25.03.2021 के विस्तार के आदेश का. आ 1335 (अ), दिनांक 23.09.2021 के विस्तार के आदेश का.आ. 3936 (अ), दिनांक 28.12.2021 के विस्तार के आदेश का. आ 5424 (अ), दिनांक 30.03.2022 के विस्तार के आदेश का. आ 1508 (अ), दिनांक 30.06.2022 के विस्तार के आदेश का. आ 2982 (अ) और दिनांक 29.09.2022 के विस्तार के आदेश का. आ 4590 (अ) के साथ पढ़े गये दिनांक 25 सितंबर, 2020 के मूल आदेश का.आ. 3322 (अ) में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रूप से लागू रहेंगे किन्तु नोट (क) में "31 दिसम्बर 2022 के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो "वाक्यांश के लिए" 31 मार्च 2023 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो" पढ़ा जाए।

[कां.सं./238/106/2022/एफ/फा. सं. 8(106)/2022/डीपी/एनपीपीए.-डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

**ORDER**

New Delhi, the 30th December, 2022

**S.O. 6175(E).**—The prices of 'Liquid Medical Oxygen (LMO)' and 'Oxygen Inhalation (Medicinal gas) in cylinder' fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 and powers conferred under section 10(2)(l) of Disaster Management Act, 2005 delegated by Ministry of Health and Family Welfare vide Order No. Z-33014/45/2020-RCH/Pt.File-3 dated 23.09.2020, vide notification S.O. 3322(E) dated 25.09.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, applicable upto 31.03.2021 and extended upto 30.09.2021 vide S.O.1335(E) dated 25.03.2021, then extended upto 31.12.2021 vide S.O. 3936(E) dated 23.09.2021, then extended upto 31.03.2022 vide S.O.5424(E) dated 28.12.2021, then extended upto 30.06.2022 vide S.O.1508(E) dated 30.03.2022, then extended upto 30.09.2022 vide S.O. 2982(E) dated 30.06.2022 and again extended upto 31.12.2022 or until further order whichever is earlier vide S.O. 4590(E) dated 29.09.2022 are further extended upto 31.03.2023 or until further order, whichever is earlier.

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 3322(E) dated 25.09.2020 read with S.O.1335 (E) dated 25.03.2021, S.O. 3936(E) dated 23.09.2021, S.O. 5424(E) dated 28.12.2021, S.O. 1508(E) dated 30.03.2022, S.O. 2982(E) dated 30.06.2022 and S.O. 4590(E) dated 29.09.2022 shall remain the same and are applicable except that in Note (a) for the phrase "31<sup>st</sup> December 2022 or until further orders, whichever is earlier" it is to be read as "31<sup>st</sup> March 2023 or until further orders, whichever is earlier."

[PN/238/106/2022/F F. No. 8(106)/2022/DP/NPPA/Div.II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 6176(अ).**—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के अनुसार जारी पांच चिकित्सा उपकरण, अर्थात् (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम मूल्य को निर्धारित करने से संबंधित दिनांक 13 जुलाई 2021 के का. आ. 2808(अ), 31 जनवरी, 2022 के का.आ. 401 (अ) और 29 जुलाई, 2022 के का.आ. 3534 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, पांच चिकित्सा उपकरण, नामतः (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें निर्धारित करने संबंधी 31 दिसंबर 2022 तक की अधिसूचना को 31 मार्च 2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

2. दिनांक 13 जुलाई 2021 के का.आ.2808(अ) की टिप्पणियां (ख) से (ड) तक इस आदेश के जारी रहने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[पीएन/238/106/2022/एफ फा.सं. 8(106)/2022/डीपी/एनपीपीए/डिव.II]

राजेश कुमार, टी उप निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 30th December, 2022

**S.O. 6176(E).**—the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2808(E) dated 13<sup>th</sup> July 2021, S.O. 401 (E) dated 31<sup>st</sup> January 2022 and S.O. 3534(E) dated 29<sup>th</sup> July 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer, at first point of sale of the product (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of these products. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at first point of sale (price to distributor) up to 31<sup>st</sup> December 2022 is further extended up to 31<sup>st</sup> March 2023 or till further order, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (m) of the Notification S.O. 2808 (E) dated 13<sup>th</sup> July 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/238/106/2022/F F. No. 8(106)/2022/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 6177(अ).**—डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के लिए 'व्यापार मार्जिनयु क्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को नियत/संशोधित करने से संबंधित दिनांक 3 जून, 2021 के का.आ.2161(अ), दिनांक 30 नवंबर, 2021 के का.आ.4909(अ), 30 मई, 2022 के का.आ. 2465(अ) और 30 जून, 2022 के का.आ.2983 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु(वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें नियत करने संबंधी 31 दिसंबर, 2022 तक की अधिसूचना को 31 मार्च 2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

2. दिनांक 3 जून 2021 के का.आ. 2161(अ) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[कां.सं./238/106/2022/एफ फा.सं.8(106)/2022/डीपी/एनपीपीए/डिवी.II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

**ORDER**

New Delhi, 30th December, 2022

**S.O. 6177(E).**—the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2161 (E) dated 3<sup>rd</sup> June 2021, S.O. 4909 (E) dated 30<sup>th</sup> November 2021, S.O. 2465 (E) dated 30<sup>th</sup> May 2022 and 2983(E) dated 30<sup>th</sup> June 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of Oxygen Concentrators at first point of sale (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of the product. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of Oxygen Concentrator at first point of sale (price to distributor) up to 31<sup>st</sup> December 2022 is further extended up to 31<sup>st</sup> March 2023 or till further order, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (n) of the Notification S.O. 2161(E) dated 3<sup>rd</sup> June 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/238/106/2022/F F. No. 8(106)/2022/DP/NPPA-Div.-II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director